पत्रांक खा०आ०(उप० सं० परिषद्)–9 / 2006 2954

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

राँची, दिनांकः– 04-06-15

संकल्प

विषयः राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के गठन के संबंध में।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा–7 एवं 8 (A) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा राज्य सरकार झारखण्ड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन किया जाता है।

(1) राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन निम्नवत् होगाः–

(क) माननीय मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड,
– अध्यक्ष।

(ख) प्रधान सचिव / सचिव,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची
– सदस्य सचिव।

(ग) राज्य सरकार के विभाग / स्वायत्त संस्थाओं के प्रतिनिधि (जो परिषद् के पदेन सदस्य होंगे) :–

i- प्रधान सचिव / सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड।
ii- प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड।
iii- प्रधान सचिव / सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड।
iv- प्रधान सचिव / सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड।
v- प्रधान सचिव / सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड।

(घ) गैर सरकारी सदस्य

उपभोक्ता हितो को संरक्षित करने योग्य प्रतिनिधि :– 5 (पाँच)

(ड.) व्यक्तिगत उपभोक्ता कार्यकर्त्ता (जो किसी भी उपभोक्ता संस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करते हो) :– 1 (एक)

(2) जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन निम्नवत् होगाः–

(क)	उपायुक्त	–	अध्यक्ष।
(ख)	जिला आपूर्ति पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव।
(ग)	(i) सिविल सर्जन	–	सदस्य।
	(ii) उप विकास आयुक्त	–	सदस्य।
	(iii) जिला शिक्षा पदाधिकारी	–	सदस्य।
	(iv) जिला कृषि पदाधिकारी	–	सदस्य।
	(v) जिला परिवहन पदाधिकारी	–	सदस्य।

(घ) गैर सरकारी सदस्य

4/6/15

उपभोक्ता हितो को संरक्षित करने योग्य प्रतिनिधि :– 5 (पाँच)

(ङ.) व्यक्तिगत उपभोक्ता कार्यकर्त्ता (जो किसी भी उपभोक्ता संस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करते हो) – 1 (एक)।

(3) राज्य एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् से संबंधित शर्त्तें एवं नियम :–

(क) परिषद् का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 3 (तीन) वर्षों का होगा। तीन वर्षों के उपरांत परिषद् का पुनर्गठन किया जायेगा। किसी भी सदस्य का स्थान रिक्त रहने पर परिषद के कार्य या निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

(ख) (1)(घ) एवं (2)(घ) में उल्लेखित गैर सरकारी सदस्य या तो किसी उपभोक्ता संस्थान के प्रतिनिधि होगें या व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ता कार्यकर्त्ता। इनके लिए योग्यता निम्नवत् होगी:–

- (i) सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1986 या ऐसी ही एक्ट के तहत् कम–से–कम 5 वर्ष पहले से निबंधित हो।
- (ii) संस्था को अंतिम तीन वर्षो में उपभोक्ता जागरूकता/कल्याण/हितो की रक्षा के क्षेत्र में सक्रिय होना चाहिए।
- (iii) संस्था का पंजीकृत कार्यालय एवं पता होना चाहिए।
- (iv) संस्था का निम्न में से किसी क्षेत्र में कार्य किया हुआ होना चाहिए:–
  - (a) ग्रामीण उपभोक्ता को लक्षित जागरूकता कार्यक्रम,
  - (b) वस्तुएँ एवं सेवाओं का उपभोक्ताओं के हितों में परीक्षण,
  - (c) उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व,
  - (d) उपभोक्ता हित में किये गये कार्यो के द्वारा (पक्षापोषण) उपभोक्ता का सुदृढीकरण,
  - (e) उपभोक्ता हित में किये गये कार्य (पक्षापोषण), जो नीति परिवर्तन को प्रभावित करे,
  - (f) उपभोक्ता कानून एवं व्यवहार से संबंधित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में पेश किया गया साहित्य/शोध पत्र/दस्तावेज।

(ग) (1)(घ)/(ङ.) एवं (2)(घ)/(ङ.) में उल्लेखित वैसे व्यक्तिगत प्रतिनिधि को भी नामित किया जायेगा, जो किसी संस्था से संबंधित नहीं भी हो, परन्तु निम्न योग्यता रखता हो:–

- (i) वह उपभोक्ता कल्याणकारी क्षेत्र में पिछले 5 वर्षो से ठोस गतिविधि में शामिल रहा हो।
- (ii) उक्त गतिविधियों का समाज एवं उपभोक्ताओं पर प्रभाव परिलक्षित हो रहा हो।
- (iii) उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाले वैसे मुद्दों पर पक्षापोषण किया हो जो नीतिगत बदलाव में प्रभावकारी हो।
- (iv) उपभोक्ता कानून एवं व्यवहार में पूरी तरह दक्ष हो।

4/6/15

(घ) क्रमांक (1) और (2) के (घ)/(ड.) से संबंधित सदस्य की सदस्यता के लिये अन्य शर्त्तेः–

(i) राज्य का नागरिक हो,

(ii) पागल या दिवालिया न हो,

(iii) उम्र 21 वर्ष से कम न हो,

(iv) किसी दीवानी अथवा फौजदारी मुकदमें में सजायाफ्ता न हो,

(ड.) क्रमांक (1) और (2) के (घ)/(ड.) के सदस्यों का चयन विभागीय संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। सरकार के द्वारा इन्हें निम्न प्रकार के आरोप साबित पाये जाने पर हटाया भी जा सकता हैः–

(i) राजनीतिक सम्बद्धता होने पर।

(ii) आपराधिक गतिविधि में आरोप पत्र दाखिल होने या दोष–सिद्ध होने पर।

(iii) अनुत्तरदायी और उपभोक्ता विमुख व्यवहार होने पर।

(iv) गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने पर।

(v) चिकित्सीय अक्षम होने पर।

(vi) उपभोक्ता कानून एवं मुद्दो की कम जानकारी होने पर।

(vii) परिषद् की दो लगातार बैठको में अनुपरिथत होने होने पर।

(च) परिषद् के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेगें जब तक कि वे अपने उक्त पद पर है, जिसके कारण वे परिषद् के सदस्य मनोनीत किये गये है।

(छ) सदस्यों का कार्यकाल मात्र 3 वर्ष का होगा। 3 वर्ष के बाद पुनः चयन किया जा सकता है, परन्तु चयन प्रक्रिया में फिर से शामिल होना पड़ेगा। कोई भी गैर–सरकारी सदस्य दो बार से अधिक चयनित नहीं हो सकता है।

(ज) सरकारी पदाधिकारी को छोड़कर अन्य संस्थान के लोग अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे सकेंगे।

(झ) प्रत्येक तीन मांह (त्रैमासिक) में कम से कम 1 बार परिषद् की बैठक अवश्य होनी चाहिए। अध्यक्ष/सचिव चाहें तो कभी भी आपातकालीन बैठक बुला सकते है।

(ञ) प्रत्येक बैठक से 15 दिन पूर्व सभी संबंधितों एवं सदस्यों को सूचना दी जायेगी, जिसका अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा अनुपालन कराया जायेगा।

(ट) बैठक का एजेन्डा अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य सचिव तैयार कर बैठक के समय पटल पर रखेंगे।

(ठ) बैठक में कम से कम 10 प्रतिशत सदस्यों का होना गणपूर्ति (कोरम) के लिए आवश्यक होगा।

(4) राज्य एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का कार्यकलाप :–

(क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निहित प्रावधानों के आलोक में परिषद् कार्य करेंगी। परिषद् का कार्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा एवं बढ़ावा देना होगा। यथा :–

(i) सामान एवं सेवाओं के वैसे विपणन जो जीवन और सम्पति के लिए खतरनाक है, के खिलाफ उपभोक्ताओं की रक्षा का अधिकार।

(ii) वस्तुओं व सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और मूल्य के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ उपभोक्ता की रक्षा का अधिकार की सूचना।

(iii) जहाँ तक संभव हो, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर माल एवं सेवाओं के प्रकार की जानकारी का अधिकार।

(iv) उपभोक्ता की हितों की उचित फोरमों में सुनवाई का अधिकार।

(v) अनुचित व्यापार व्यवहार या अवरोधक व्यापारिक व्यवहार या उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के खिलाफ निवारण का अधिकार।

(vi) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।

(ख) राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् जिला उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से जनता की सहभागिता कर उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन को स्थापित करने के लिए कदम उठायेगा।

(ग) राज्य/जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् द्वारा प्रत्येक 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस एवं 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को समारोहपूर्वक मनाया जायेगा।

(5) सरकारी कर्मचारियों को उसी दर पर यात्रा–भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा, जो उन्हें पदस्थापित पदों पर अनुमान्य है तथा वे इसे अपने वेतनादि प्राप्त होने वाले शीर्ष से निकासी करेंगें।

(6) गैर सरकारी सदस्य को उसी यात्रा–भत्ता के हकदार होगें जो राज्य सरकार के श्रेणी–1 के पदाधिकारी को अनुमान्य है तथा प्रति बैठक 500/– (पाँच सौ) रूपये दैनिक भत्ता के रूप उन्हें देय होगा। इनका भुगतान 3456–सिविल पूर्ति–उप शीर्ष–02 से होगा।

(7) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के वैसे सदस्य जो इस राज्य के होगें, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होगें। इसी प्रकार राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य अपने संबंधित जिलों के परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

(8) सरकार को आवश्यकतानुसार परिषद् भंग करने या नियमों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(9) उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की गठन से जनता में उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

(10) राज्य एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के गठन से राज्य के कोष पर 25 (पच्चीस) लाख रूपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

(11) राज्य/जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के गठन के पश्चात् इसमें पद सृजन का प्रस्ताव नहीं दिया जायेगा।

(12) प्रस्ताव पर मंत्रीपरिषद् की स्वीकृति खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के संलेख ज्ञापांक 2462 दिनांक 30.04.2015 के क्रम में दिनांक 12.05.2015 की बैठक के मद संख्या 08 में दी गई है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

9/6/15

(विनय कुमार चौबे),
सरकार के सचिव।

D:\Vikash Kumar-2015-16\Rathour Nitin\Consumer Protection\New Consumer Protection Council Sankalp Doc

ज्ञापांक— पत्रांक खा०आ०(उप० सं० परिषद)—9/2006 2954 /राँची, दिनांक—04.6.15

प्रतिलिपि— महालेखाकार (लेखा एवं हक0) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/6/15

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक— पत्रांक खा०आ०(उप० सं० परिषद)—9/2006 2954 /राँची, दिनांक—04.6.15

प्रतिलिपि—माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार/सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति), धनबाद/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/लेखा शाखा/बजट शाखा, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/6/15

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक— पत्रांक खा०आ०(उप० सं० परिषद)—9/2006 2954 /राँची, दिनांक—04.6.15

प्रतिलिपि— सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को इस आदेश के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र असाधारण अंक में करके e-गजट के रूप में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड को सूचना उपलब्ध करावें।

4/6/15

सरकार के सचिव।